न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी–श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 21/2025
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2025/33

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
शिवराम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन), जिला रसद कार्यालय, डीडवाना–कुचमान।		श्री साहिल पुत्र रफीक खॉ, मैसर्स दिल्ली जायका, लाडनूं।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए. सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तसुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्।

उपस्थितः–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक श्री ओमेन्द्र कुमार।
2. अप्रार्थी की ओर से वकील श्री हरफुल राव।

–:आदेशः– दिनांक : 17.03.2025

प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी डीडवाना द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप्त में निम्न प्रकार हैः–

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्रांक एफ. 65 (1) खावि/एलपीजी/2024 दिनांक 10.09.2024 की पालना में घरेलू गैस के अवैध भण्डारण/व्यापार/दुरूपयोग के विरूद्ध अभियान के तहत दिनांक 19.02.2025 को श्री शिवराम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक, मकराना, श्री ओमेन्द्र कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक, कुचामन सुश्री मनीषा गुर्जर, परबतसर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मैसर्स दिल्ली जायका, लाडनूं पर आकस्मिक जाँच हेतु पहुंचे। मौके पर श्री साहिल पुत्र रफीक खान निवासी लाडनूं उपस्थित मिले, जिन्होने स्वयं को प्रबन्धक होना बताया। श्री साहिल पुत्र रफीक खान द्वारा मैसर्स दिल्ली जायका लाडनूं का निरीक्षण करवाया तथा घरेलू गैस का उपयोग खाना पकाने के कार्य में किया जाना बताया। मैसर्स दिल्ली जायका लाडनूं की तलाशी लेने पर 03 घरेलू गैस के सिलेण्डर पाये गये। मौके पर पाये गये घरेलू गैस सिलेण्डर, जो भारत गैस कम्पनी का है। श्री साहिल पुत्र रफीक खान से घरेलू गैस के भण्डारण एवं व्यावसायिक उपयोग से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे में पूछा गया तो घरेलू गैस के भण्डारण व व्यावसायिक उपयोग से सम्बन्धित किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र नहीं होना स्वीकार किया। साहिल पुत्र रफीक खान द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर भण्डारित/दुरूपयोग किये गये 03 घरेलू

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.03.21 12:33:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किये गये। जब्त किये गये सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	नाम कम्पनी	एस.आर.नं.	भरे सिलेण्डर का वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	शुद्ध गैस (कॉलम 4–5)
1	भारत गैस कम्पनी	2814565–S	16.1	16.1	0
2	भारत गैस कम्पनी	216857–S	17.00	17.00	0
3	भारत गैस कम्पनी	84914–S	15.58	15.58	0

उपरोक्त 03 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस 0.0 किग्रा मौके पर जब्त सरकार कर प्रबन्धक श्री अदरिश खान पुत्र श्री मुराद खान प्रतिनिधि मैसर्स गैस सर्विस लाडनूं के प्रतिनिधि की सुपुर्दगी में दिय गये।

इस प्रकार श्री साहिल पुत्र रफीक खान का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, – 2000 के क्लॉज 3 (c), 7(1)(a),(b),(c) का स्पष्ट उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में जब्तसुदा 03 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस 0.0 किग्रा को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (confiscaion) के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से वकील श्री हरफुल राव ने वकालतनामा व जवाब पेश किया।

वकील अप्रार्थी ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी मैसर्स दिल्ली जायगा लाडनूं के नाम से दुकान चलाता है तथा उक्त दुकान पर अप्रार्थी के परिवार के सदस्यों द्वारा अपने तीन खाली गैस सिलेण्डर हमेशा से ही गैस ऐजेन्सी से भरवाने हेतु अपने घर से लाकर मेरी दुकान पर रखते आये है, जिनका उपयोग मेरी दुकान में कभी भी नहीं किया गया न ही वक्त मौका पर काम में लिया जा रहा था। फिर भी रसद विभाग की टीम ने मेरे सिलेण्डर जब्त कर लिये। अतः निवेदन है कि अप्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रकरण को निस्तारित फरमावें।

बहस सुनी गई। प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि श्री साहिल पुत्र रफीक खान द्वारा घरेलु गैस का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। इनके पास घरेलु गैस के भण्डारण व व्यापारिक उपयोग के संबंध में किसी प्रकार का अनुज्ञा पत्र व आवश्यक दस्तावेज नहीं पाये गये। इस पर मौके पर पाये गये घरेलु गैस सिलेण्डर कुल 03 को अवैध मानते हुए जब्त सरकार किया जाकर कब्जे में लिये गये। जब्त सुदा 03 घरेलु गैस सिलेण्डर को मैसर्स गैस सर्विस लाडनूं के प्रतिनिधि श्री अदरिश खान को निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द कर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर [illegible] गैस सिलेण्डर पाए गए। जांच के समय श्री साहिल पुत्र रफीक खान के पास [illegible] के दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र नहीं होना स्वीकार किया। मौके पर घरेलु गैस सिलेण्डरों का उपयोग व्यापारिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.03.21 12:33:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

उपयोग में किया जा रहा था। दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र पेश नहीं किए जाने पर घरेलु गैस सिलेण्डर को अवैध मानते हुए जप्त सरकार लिये गये। घरेलू गैस सिलेण्डरों के भण्डारण एवं उपयोग के लिए वैध अनुज्ञप्ति होना आवश्यक है। दौराने जांच मौके पर अथवा न्यायालय हाजा में ऐसी कोई अनुज्ञप्ति रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार प्रकरण में मौके पर की गई कार्यवाही सही प्रतीत होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार की जाती है। प्रकरण में 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का समपहरण (Confisacation) किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में जब्तसुदा 03 घेरलू गैस सिलेण्डर मय गैस का नियमानुसार कीमतन निस्तारण किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, डीडवाना–कुचामन को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक **17.03.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन, **IAS**)
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.03.21 12:33:52 IST
Reason: SelfAttested